भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्ति

1887. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनियन कारबाइड कंपनी और सरकार भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए लोगों के मुआवजे संबन्धी दावों का निपटान अदालत से बाहर करने की कोशिश कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका की अदालत में भारत की ओर से मामले की पैरवी कर रहे कुछ वकील हाल में भोपाल आए थे और उन्होंने इस बारे में पहल भी की; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनके आने जाने पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया है :

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० वे० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने सरकार द्वारा यू. एस. ए. में मामले के सम्बन्ध में भारत और भोपाल का भी दौरा किया है । तथापि, यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यू.सी.सी) के साथ न्यायालय के तत्वाधान और निर्देशों के अधीन बातचीत चल रही है जिनका आदर किया जाना है ।

(ग) प्रतिपूर्ति लागतों, जिनमें भारत के दौरों पर किये गये व्यय भी सम्मिलित है, के रूप में अभी तक लगभग 30 लाख रू० की राशि अदा की गई है ।

Uniform Civil Code

1888. SHRI RAMCHANDRA BHARDWAJ: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister in a statement, as reported in the Times of India, dated January 14, 1986, had stated that he was in favour of a uniform civil code but wanted it to be introduced only after a consensus was reached; and

(b) if so, whether Government propose to take an initiative to obtain a consensus on the matter; if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir.

(b) No such proposal is under the consideration of the Government. The policy of the Government has been that no change would be effected in the personal laws of the minority communities, unless the initiative therefor comes from the community itself.

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा

1889. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए या अन्यथा प्रभावित हुए व्यक्तियो की ओर से अमरीका की अदालत में उनके मुआवजे के लिए कितने मामले दर्ज किए गए ;

(ख) यूनियन कारबाइड कंपनी के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार तथा शपथपत्र पर निजी तौर पर पीड़ित व्यक्तियों ने अलग अलग रूप से मुआवजे हेतु कितने मामले दायर किए तथा इन मामलो की मार्फत मुआवजा के लिए कुल कितनी राशि की मांग की गई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों तथा मृत व्यक्तियों की कोई विस्तृत सूची अमरीकी-अदालत में प्रस्तुत की है, यदि हां, तो सूची के पीडितों की कितनी संख्या दिखाई गई है, क्या मुकदमें की कार्यवाही अब शुरू हो गई है है;

(घ) क्या यूनियन कारबाइड कम्पनी उक्त मुकदमें अमरीकी अदालतों की बजाय भारतीय अदालतों में चलाये जाने का प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) और (ख) पीडितों द्वारा फेडरल जिला न्यायालय न्यूयार्क में सीधे तौर पर वर्तमान में दायर किये गये कानूनी मुकदमों की संख्या 145 है। भारत सरकार द्वारा यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यू० सी) के विरुद्ध फेडरल जिला न्यायालय, न्यूयार्क में केवल एक मामला "(पेरन्स पेटराइन्स)" के रूप में पीडितों की भावी पीढी सहित बासदी के सभी पीडितों के स्वास्थ्य और भलाई, शारीरिक और आर्थिक दोनों, को प्राप्त करने के अपने हित और दायित्व के रूप में दायर किया गया है। न्यायालय से क्षतिपूरक क्षतियों की राशि को तथ्यों तथा कानून के अन्तर्गत उपयुक्त सभी दावाकर्ताओं की पूर्ति उचित और पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करने हेतु निर्णय देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) से (ङ) मध्यप्रदेश सरकार ने मृतकों और आहतों की एक व्यापक सूची तैयार की है और इनको साधारणत: तथा निरन्तर अद्यतन बनाया जा रहा है। न्यायाधीश को समय-समय पर ऐसी जानकारी से अवगत रखा जाता है विशेषकर अति-प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 300,0000 से अधिक थी।

यूनाइटेड स्टेटस फेडरल जिला न्यायालय, न्यूयार्क में शिकायत दायर करने के पश्चात परीक्षण पूर्व प्रथम और द्वितीय अधिवेशन हो चुके है। यूनियन कार्बाइड के मोशन आफ फोरम नान कन्विनियन्स पर दिये गये तर्कों पर न्यायालय द्वारा सुनवाई भी हो चुकी है। इस प्रस्ताव पर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

Less Gas found in LPG Cylinders

1990. SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to the answer to Starred Question 112 given in the Rajya Sabha on the 3rd March, 1986 and state:

(a) whether it is a fact that in a surprise check of filled cooking gas cylinders of the Bharat Petroleum Corporation at Shakur Basti bottling plant, New Delhi, on January 20, 1986 it was seen that more than 33 per cent cylinders were found to contain less gas than the prescribed weight; and

(b) if so, what effective steps have been taken to ensure that consumers do not suffer on account of short supply?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): (a) Yes, Sir. Out of 20 cylinders inspected 4 were correctly filled, 7 were under-filled and 9 were over filled.

(b) Bottling of LPG cylinders at the plant is done through an Automatic Filling Machine mounted on carousel (Rotating Platform) and a manual plant. The reasons for the under and overfilling appears to be erratic functioning of the Filling Machines and weighing systems, which have been subjected to heavy and continuous utilisation with a view to meeting the increased Winter demand in the area, leaving little time for adequate maintenance.

The Corporation is carrying out urgent maintenance of the machines and is strengthening the internal checking and control system in order to ensure proper functioning of the Filling Machines and the weighing systems at the Bottling Plant.

Investment prospects for Oil and Gas

1991. SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high level U. S. trade mission headed by the U. S. Deputy Assistant Secretary of Commerce visited India in January